भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली – 110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस–55 / 1 / आर.टी.आई. / 60 / 2025–2026 02 मार्च, 2026

श्री पवन कोठारी,
07 दून घाटी आवास समिति,
एमडीडीए कॉलोनी, पोस्ट–डिफेंस कॉलोनी,
देहरादून–248012।

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपकी आर.टी.आई. इस सचिवालय में 11.02.2026 को प्राप्त हुई है जिसके साथ 10 रूपये का पो०आ०सं० 72एफ 764677 संलग्न कर जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है।

इस विषय में आपको सूचित जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी / सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य / मंत्रालय / विभाग से संपर्क करें।

(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

RTI-60

पत्रांक: MPD/SN- 631 दिनाँक: 09/02/2026.

Vice President's Secretariat
Dy. No. 474
Date 11/02/26
New Delhi

प्रेषित: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उप राष्ट्रपति कार्यालय, नई दिल्ली

अपीलकर्ता: पवन कोठारी, पता- 7 दून घाटी आवास समिति, MDDA कॉलोनी, PO डिफेंस कॉलोनी, देहरादून-248012

विषय: RTI के अंतर्गत सूचना

महोदय / महोदया,

कृपया संलग्न पत्रों के सापेक्ष कृत कार्यवाही से अपीलकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 09/02/2026.

पवन कोठारी

दश टका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO ____________________ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT ____________________

के डाकघर में अदा करें।

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

PAWAN KOTHARI 7 DOON GHATI AWAS SAMITI MDDA COLONY PO DEFENCE COLONY DEHRADUN.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

13/1/26

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

72F 764677

BY SPEED POST

पत्रांक: MPD/SN- 599 **दिनाँक:** 06/02/2024.

समक्ष: महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली

प्रार्थी: पवन कोठारी, पता- 7 दून घाटी आवास समिति, MDDA कॉलोनी, PO डिफेंस कॉलोनी, देहरादून-248012, उत्तराखण्ड

महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित व्यथाएं आपके समक्ष न्याय हेतु प्रस्तुत करता है:

1. यह कि प्रार्थी कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195, उत्तराखण्ड में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है एवं सामान्य श्रेणी से संबन्धित है एवं आंशिक दृष्टिहीन दिव्यांगजन है।

2. यह कि प्रार्थी उक्त कार्यालय में प्रातिवादी उप महालेखाकार IAAS मुकेश कुमार के अधीन विगत लगभग 4 वर्षों से कार्यरत है एवम प्रतिवादी अनुसूचित जाति से संबन्धित है।

3. यह कि प्रार्थी जब उक्त प्रतिवादी के अधीन कार्यरत था तो उक्त प्रातिवादी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जातिवाद संबन्धित पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अत्यधिक भेदभाव किया जाने लगा जिसके क्रम में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी को कार्यालय संबन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यालय दौरों से वंचित कर दिया।

4. यह कि उक्त प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी के एक निजी एवं पारिवारिक प्रकरण जो माननीय न्यायालय में लंबित है, के सापेक्ष विपक्षियों से अत्यंत आपत्तिजनक एवं अपमानजनक ईमेल एवं पत्र प्राप्त कर उनपर विचार किया जाने लगा, एवं वर्तमान तक यह कृत्य प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा है। जबकि प्रतिवादी को कई बार निवेदन किया जा चुका है कि प्रश्ङ्गत प्रकरण न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं इस संबंध में किसी अन्य मंच पर कोई विचार नहीं किया जा सकता अतः विपक्षियों को निर्देशित करें कि वे उक्त आपत्तिजनक एवं अपमानजनक पत्र कार्यालय को प्रेषित न करें एवं अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखें, किन्तु प्रतिवादी द्वारा मनमाने तरीके से अपनी हठधर्मी का प्रदर्शन करते हुए उक्त निवेदन को अस्वीकार करते हुए एक माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के सापेक्ष विपक्षियों से अत्यंत आपत्तिजनक एवं अपमानजनक ईमेल एवं पत्र वर्तमान तक प्राप्त कर उनपर विचार किया जा रहा है।

5. यह कि नामजद आरोपी सत्य प्रसाद उनियाल ASI BSF द्वारा ON RECORD प्रार्थी को धमकी दी गयी कि उक्त नामजद आरोपी प्रार्थी के कार्यालय में घुसकर प्रार्थी को उक्त प्रतिवादी के सामने जूते मारकर प्रार्थी की हत्या कर देगा, तथा यह कि प्रार्थी से गंदा इंसान कार्यालय में अन्य कोई नहीं है है, तथा प्रार्थी के जैसे दो कौड़ी के ऑडिटर उक्त नामजद आरोपी के सामने

सलाम ठोकते हैं। उक्त के संबंध में प्रतिवादी को सूचित किए जाने पर उक्त प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के बजाय प्रार्थी पर ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार न करने का अनुचित एवं असंवैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे न्यायिक प्रक्रियाएँ बाधित हो गयी व प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गया।

6. यह कि उक्त के संबंध में जब प्रतिवादी की शिकायत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड श्री संजीव कुमार से की गयी तो महालेखाकार द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गयी कि यदि प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी का कुछ बिगाड़ा गया तो महालेखाकार स्वयं प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

7. यह कि उक्त प्रकार से महालेखाकार का संरक्षण प्राप्त कर प्रतिवादी द्वारा बार-बार प्रार्थी को विभिन्न ज्ञापन देकर परेशान किया जाने लगा। जबकि प्रार्थी पूर्व में ही पारिवारिक प्रकरण के कारण अत्यधिक मानसिक परेशानी में है, उक्त प्रतिवादी द्वारा मौके का लाभ उठाकर प्रार्थी को और अधिक परेशान किया जाने लगा। एवं इस क्रम में प्रार्थी को उक्त अत्यधिक मानसिक वेदना के कारण हृदय पीड़ा महसूस हुई तथा इस संबंध में प्रतिवादी को सूचित किया गया कि वह और अधिक प्रार्थी को परेशान न करे क्योंकि प्रार्थी का स्वास्थ्य एवं जीवन संकट में है, किन्तु प्रातिवादी द्वारा अपनी हठधर्मी में चूर होकर बदले की भावना से ग्रसित होकर उक्त स्थिति में भी प्रार्थी को लगातार विभिन्न ज्ञापन दिये गए जिस कारण प्रार्थी अवसाद एवं अनिंद्रा की स्थिति में चला गया।

8. यह कि उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रकरण की शिकायत पुलिस में की गयी। पुलिस में शिकायत के बौखलाकर प्रतिवादी द्वारा महालेखाकार से मिलकर प्रार्थी को बिना आरोपपत्र के कार्यालय से निलंबित करवा दिया गया। उक्त निलंबन के सापेक्ष कार्यालय द्वारा 3 महीने बाद आरोपपत्र प्रार्थी को उपलब्ध कराये गए। एवं उक्त प्रातिवादी द्वारा पुलिस जांच में पेश होने के स्थान पर विभिन्न बहाने बनाकर उक्त जांच से बचने की कोशिश करते हुए उक्त व्यक्तिगत रूप से किए गए अपराधों के सापेक्ष कार्यालय का letterhead प्रयोग करते हुए service ranks एवं भारत सरकार के कार्यालय एवं विभाग के चिन्हों का प्रयोग कर पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गयी।

9. यह कि जबकि प्रार्थी बचपन से आंशिक दृष्टिहीन है, उक्त आरोपपत्र में महालेखाकार द्वारा कहा गया कि प्रार्थी "फर्जी दिव्यांगजन" है, जो प्रार्थी के लिये अत्यंत मानसिक पीड़ा का कारण था। साथ ही उक्त आरोपपत्र में मिथ्या एवं आधारहीन आरोप प्रार्थी पर मंशागत तरीके से लगाए गए।

10. यह कि उक्त के क्रम में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी की सामाजिक छवि खराब करने के उद्देश्य से समाज में यह मिथ्या प्रचार किया जाने लगा कि प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी हेतु जातिसूचक शब्दों

का प्रयोग किया गया एवं प्रार्थी द्वारा कार्यालय के अज्ञात जातिविशेष कार्मिको के साथ काम करने से मना किया गया।

11. यह कि उक्त के क्रम में प्रतिवादी एवं महालेखाकार द्वारा बिना प्रार्थी की अनुमति अथवा सहमति के अनाधिकृत रूप से प्रार्थी के निजी एवं पारिवारिक वाद को इंटरनेट के माध्यम से ट्रैक कर इस संबंध में मजिस्ट्रेट का आदेश download कर उक्त आदेश को प्रकाशित कर प्रार्थी के उक्त आदेश का अनुपालन पूछा गया। जबकि उक्त कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 " निजता का अधिकार" एवं IT ACT 2000 की धारा 72 अध्याय XI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

12. यह कि उक्त के संबंध में पुलिस में शिकायत किए जाने पर पुनः प्रार्थी को कार्यालय से निलंबित किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी एवं महालेखाकर द्वारा निलंबन को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है एवं प्रार्थी को एक महीने के भीतर ही पुनः निलंबित कर दिया गया। तथा न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु प्रतिवादी एवं कार्यालय से प्रतिवादी के स्थायी निवास का पता मांगा गया तो प्रार्थी को कोई उत्तर नहीं दिया गया।

13. उक्त सब अविधिक एवं आपराधिक कृत्यों की शिकायत पुलिस से किए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा FIR दर्ज़ करने के स्थान पर उक्त प्रकरण को विभागीय बताकर रफा-दफा कर दिया गया जबकि उक्त अविधिक कृत्य स्पष्ट रुप से आपराधिक प्रवृति के हैं तथा तदनुसार संबन्धित अधिनियम में सूचित अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जिनके सापेक्ष FIR दर्ज़ किया जाना अपेक्षित था।

उक्त प्रकार प्रार्थी न्याय से वंचित है एवं अत्यधिक व्यथित एवं निराश है। **उक्त प्रतिवादी एवं महालेखाकार के उच्चतर अधिकारी कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 से संबन्धित हैं तथा पुलिस जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून, निकट दून अस्पताल देहरादून-248001, उत्तराखण्ड से संबन्धित है।**

अतः प्रार्थी आपके समक्ष न्याय की प्रार्थना करता है।

भवदीय

Sd

पवन कोठारी

पत्रांक: **दिनाँक:**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून
ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195, उत्तराखण्ड

विषय: पुलिस आख्या के क्रम में कार्यवाही।

महोदय,

कृपया संलग्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून की जाँच आख्या का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमे अभियुक्त उप महालेखाकार IAAS मुकेश कुमार द्वारा मेरे पुत्र के विरुद्ध कृत विभिन्न अविधिक कृत्यों के आलोक में आपसे विभागीय कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। अतः इस संबंध में 7 दिन के भीतर उक्त के संबंध में साक्ष्य सहित स्पष्ट कार्यवाही आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

टिप्पणी: इससे पूर्व आपके समक्ष अभियुक्त की शिकायत किए जाने पर आपने केवल दिखावे के लिए एक छद्म समिति गठित की, जिसने अपनी एकतरफा एवं पक्षपाती आख्या बिना पीड़ित के पक्ष को सुने / बिना पीड़ित को अपने समक्ष बुलाये / बिना पीड़ित के लिखित बयान के ही तैयार की। उक्त एकतरफा एवं पक्षपाती आख्या के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त समिति केवल अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करने एवं पीड़ित के दोषों एवं त्रुटियों को ढूँढने के लिए गठित की गयी थी।

भवदीया

पार्वती देवी

पत्रांक: 600 **दिनाँक:** 06/02/26.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नई दिल्ली**
2. **अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली**
3. **प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली**
4. **उप राष्ट्रपति कार्यालय, नई दिल्ली**
5. **संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली**
6. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली**
7. **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली**

8. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली
9. आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
10. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली
11. आसूचना ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
13. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
14. उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग
15. मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन
16. राज्यापाल सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन
17. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
18. आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड शासन
19. समाज कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन
20. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड
21. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तराखण्ड
22. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड
23. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून
24. जिलाधिकारी देहरादून

पार्वती देवी